


:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है। इन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

क. सं.	न्यायालय/अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बांरा जिला बांरा	बांरा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
2	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जैसलमेर जिला जैसलमेर	जैसलमेर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
3	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, फतेहपुर जिला सीकर	फतेहपुर	स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा अनुसार
4	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चिड़ावा जिला झुंझुनू	चिड़ावा	स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा अनुसार
5	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, खेरवाड़ा जिला उदयपुर	उदयपुर	स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा अनुसार


साथ ही पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 3 (1)परि/91 दिनांक 11.6.92 द्वारा निर्धारित अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, निम्बाहेड़ा का क्षेत्राधिकार निम्बाहेड़ा उपखण्ड (तहसील बड़ी सादड़ी व छोटी सादड़ी को छोड़कर) से बढ़ाकर उक्त न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार (बड़ी सादड़ी एवं डुंगला उपखण्ड सहित) तक किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस कमीश्नर/पुलिस अधीक्षक, बांरा/जैसलमेर/फतेहपुर/चिड़ावा/उदयपुर।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव